प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 22.02.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 0137/2024 धारा 147/148/452/504/323/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.02.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी फैजान पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला केतीपुरा पुराना कस्बा बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. साजिद उर्फ बिल्लू, 2.अफजाल, 3. फैसल पुत्रगण हाजी इसरार, 4.हाजी इसरार पुत्र गफ्फार, 5.रियासत पुत्र लियाकत व 5 अज्ञात व्यक्ति समस्त निवासीगण मौहल्ला केतीपुरा कस्बा बागपत द्वारा उसके साथ उसके घर में घुसकर एक राय होकर लाठी-डन्डों से मारपीट की व गाली-गलौच करते हुए जाने से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0137/2024 धारा 147/148/452/504/323/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 0137/2024 धारा 147/148/452/504/323/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद उर्फ बिल्लू पुत्र इसरार निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 214 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-हो0गा0 158 रामचन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 22.02.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने लाईसेन्सी शस्त्र का गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक लाईसेंसी रिवाल्वर मय 05 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को लाईसेन्सी शस्त्र का गलत प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक लाईसेंसी रिवाल्वर मय 05 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 138/24 धारा 30 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामकृष्ण पुत्र राम मेहर निवासी लगनपुर थाना झज्जर हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- एक लाईसेंसी रिवाल्वर मय 05 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 22.02.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने लाईसेन्सी शस्त्र का गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक लाईसेंसी रिवाल्वर मय 05 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को लाईसेन्सी शस्त्र का गलत प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक लाईसेंसी रिवाल्वर मय 05 जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 138/24 धारा 30 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामकृष्ण पुत्र राम मेहर निवासी लगनपुर थाना झज्जर हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

- एक लाईसेंसी रिवाल्वर मय 05 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
3-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22-02-2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम अहमदशाहपुर पदडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ब्रजेश पोनिया थाना कोतवाली बागपत।
2-का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
3-पीआरडी 5022 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनाँक 22.02.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 25/24 धारा 147/148/352/452/307 /323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 सरिया व 01 डण्ड़ा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.2024 को थाना बालैनी पर संदीप पुत्र खुशीराम ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों पवन पुत्र कन्हैया, राकेश पुत्र अमी, शिवांश पुत्र पवन, वंश पुत्र रविन्द्र, मोहित व अनिल पुत्रगण ओमप्रकाश द्वारा उसके भाई लोकेश पुत्र खुशीराम का ग्राम में नाली बनवाने का विरोध किया गया तथा नाली खोदने से मना करने लगे । अभियुक्तों द्वारा उसके भाई की गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी-डन्डे मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 25/24 धारा 147/148/352/452/307/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी द्वारा थाने के मु0अ0सं0 25/24 धारा 147/148/352/452/307/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक सरिया व 01 डण्डा बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राकेश पुत्र अमी निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2-पवन पुत्र कन्हैय्या निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक सरिया व एक डण्डा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-है0का0 440 राशिद खान थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-है0का0 243 हैम सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी **दिनाँक 22.02.2024**

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 20/24 धारा 379/411/414 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.24 को थाना बालैनी पर श्री अनुराग पुत्र हेमराज निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के ट्यूबेल जंगल ग्राम मुकारी से केबिल, बिजली का सामान, ट्रैक्टर का लोहे का सामान व एक डीएपी का बैग आदि चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 20/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी द्वारा थाने के मु0अ0सं0 24/24 धारा 379/411/414 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 15.02.2024 को अभियुक्तों 1-गौरव उर्फ शुभम पुत्र विनोद,2. विकास उर्फ बंटी पुत्र विनोद, 3. शेखर पुत्र योगेश, 4.अतुल उर्फ बिल्ला पुत्र मुकेश निवासीगण ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत व 5. विजय उर्फ कमल पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम पिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को चोरी किये गये माल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सन्नी पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 152/23 धारा 379 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।
2-मु0अ0सं0 10/23 धारा 379 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।
3-मु0अ0सं0 133/23 धारा 379 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।
4-मु0अ0सं0 163/23 धारा 379/411/414 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।
5-मु0अ0सं0 508/23 धारा 379 भादवि थाना ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।
6-मु0अ0सं0 20/24 धारा 379/411/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत।
2-है0का0 440 राशिद खान थाना बालैनी जनपद बागपत।
3-का0 1010 राजीव कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक-22.02.2023**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 45/2024 धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 52/2024 धारा 379/427/411 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 13.02.24 को थाना दोघट पर वादी अक्षय पुत्र लोकेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा कस्बा दोघट बिजली घर से करीब 900 मीटर केबिल चोरी कर लिया हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 45/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

2-दिनांक 19.02.2024 को थाना दोघट पर शमशाद ठेकेदार निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा 33/11 केवी विधुत उपकेन्द्र टीकरी पी0टी0डब्ल्यु0 की लाइन विभाजित करने हेतु चल रहे पोषकों के निर्माण कार्य से करीब 1390 मीटर डॉग तार को चोरी कर लिया है तथा लाइन का खम्बा क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 21.02.2024 को उपरोक्त अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए थाना दोघट पुलिस द्वारा चोरी के सामान को बरामद किया जा चुका है0 व 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि, मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 45/24 धारा 379/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम बिराल थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत ।

2- है0का0 188 सुबोध कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 22.02.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 61/24 धारा 147/148/342/352/308/323/427 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.02.2024 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी विशाल पुत्र सुधीर निवासी रतौली थाना सरधना जनपद मेरठ ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके साथी अरूण जैन को बंधक बना लिया गया व उसको सिर में ईंट मार कर बेहोश कर दिया तथा गाडी को तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 61/24 धारा 147/148/342/352/308/323/427 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 61/24 धारा 147/148/342/352/308/323/427 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-इखलाख पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2-अमीर पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3-दानिश पुत्र पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना सिंघावली अहीर।
2-उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना सिंघावली अहीर।
3-है0का0 439 कुलदीप सिह थाना सिंघावली अहीर।
4-है0का0 223 सचिन यादव थाना सिंघावली अहीर।